सुरक्षित रूप से कार्य करना: COVID-19 और आपका कार्य

एक सुरक्षित Wisconsin एक शक्तिशाली Wisconsin है। जब कर्मचारियों की आवश्यकताओं को प्राथमिकता दी जाती है तो व्यवसाय पनपते हैं।

मुझे लगता है कि मैं कार्यस्थल पर COVID-19 के संपर्क में आया/आई था/थी। मुझे क्या करना चाहिए?

- तुरंत अपने सुपरवाइज़र या नियोक्ता को बताएं।
- जाँच करवाएं। निकटतम जाँच स्थल पता करने के लिए 211 पर कॉल करें, https://www.dhs.wisconsin.gov/testing पर जाकर सामुदायिक जाँच स्थल पता करें, या अपने स्वास्थ्य देखभाल प्रदाता से संपर्क करें।
- भले ही आपकी जाँच का नतीजा नेगेटिव आया हो फिर भी आपको स्थानीय या जनजातीय सार्वजनिक स्वास्थ्य द्वारा 14 दिनों के लिए कार्यस्थल से घर पर रहने और अपने लक्षणों पर नज़र रखने के लिए कहा जा सकता है। https://www.dhs.wisconsin.gov/publications/p02598a.pdf पर अधिक जानकारी पाएं।
- यदि आपका COVID-19 के लिए पूरी तरह से टीकाकरण हुआ है और आप COVID-19 वाले किसी व्यक्ति के संपर्क में आए है, तो आपको क्वारंटाइन होने की जरूरत नहीं पड़ सकती है। अधिक जानकारी के लिए https://www.dhs.wisconsin.gov/covid-19/close-contacts.htm पर जाएं।

मैं स्वास्थ्य बीमा, चिकित्सा देखभाल या मानसिक स्वास्थ्य सहायता के बारे में मदद कैसे प्राप्त कर सकता/सकती हूँ?

Wisconsin में, हम एक दूसरे का ख़्याल रखते है ताकि हर कोई सुरक्षित रह सके।

- स्वास्थ्य बीमा, निःशुल्क या कम लागत वाली स्वास्थ्य देखभाल, और मानसिक स्वास्थ्य सहायता कहाँ से प्राप्त करें इसके बारे में DHS COVID-19 संसाधनों के वेबपेज https://www.dhs.wisconsin.gov/covid-19/help.htm पर अधिक जानें।
- Wisconsin Primary Health Care Association (Wisconsin प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल संघ) की वेबसाइट https://www.wphca.org/page/FindHealthCenter या Wisconsin Association of Free & Charitable Clinics (Wisconsin निःशुल्क और चैरिटेबल क्लीनिक्स संघ) की वेबसाइट http://www.wafcclinics.org/find-a-clinic.html पर जाकर Wisconsin में स्वास्थ्य देखभाल का पता लगाएं।
- DHS COVID-19 संसाधनों के वेबपेज https://www.dhs.wisconsin.gov/covid-19/help.htm या https://www.wellbadger.org पर Well Badger Resource Center (वेल बेजर संसाधन केंद्र) पर कम लागत वाले स्वास्थ्य देखभाल विकल्पों के बारे में अधिक जानें।
- आपातकालीन स्थिति में, ज़्यादातर आपातकालीन कमरे और अस्पताल मरीजों का इलाज करने से इनकार नहीं कर सकते है।
- यदि आप गर्भवती है तो आप Wisconsin में स्वास्थ्य देखभाल प्राप्त कर सकती है, चाहे आपकी इमिग्रेशन या नागरिकता स्थिति जो भी हो। BadgerCare Plus (बेजरकेयर प्लस) प्रीनेटल प्लान के लिए 800-362-3002 पर कॉल करें।

मैं एक प्रवासी कर्मचारी हूँ। आवश्यकता पड़ने पर मैं स्वास्थ्य देखभाल कहाँ से प्राप्त कर सकता/सकती हूँ?

पिछले अनुभाग में सूचीबद्ध विकल्पों के अलावा:

- Family Health La Clinica (फैमिली हेल्थ ला क्लिनिका) की ग्रामीण Wisconsin में पांच स्थानों पर स्वास्थ्य देखभाल सेवाएं उपलब्ध है। अपना निकटतम क्लिनिक पता करने के लिए https://www.famhealth.com/locations.html पर जाएं या 800-942-5330 पर कॉल करें।
- https://www.coveringwi.org/immigration पर इमिग्रेशन और सार्वजनिक लाभों के बारे में अधिक जानें।

मैं काम के स्थान पर सुरक्षित महसूस नहीं करता/करती हूँ। मैं क्या कर सकता/सकती हूँ?

मेरा नियोक्ता एक निजी व्यवसाय है:

- यदि आपको ऐसा लगता है कि ऐसा करना सुरक्षित है, तो अपनी चिंताओं के बारे में अपने नियोक्ता या मानव संसाधन (HR) विभाग से बात करें।
- https://www.osha.gov/ पर Occupational Safety and Health Administration (व्यावसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य प्रशासन, OSHA) के पास स्वास्थ्य और सुरक्षा की शिकायत दर्ज करवाएं। OSHA द्वारा कई शिकायतों को अनौपचारिक रूप से देखा जाता है। ऐसे कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए व्हिसलब्लोअर कानून हैं जो रोजगार या भुगतान खोने के कारण शिकायत दर्ज करवाते है। आप OSHA में भी किसी से बात कर सकते हैं। https://www.osha.gov/contactus पर अपना OSHA कार्यालय पता करें।
- Wisconsin के Department of Workforce Development (कार्यबल विकास विभाग, DWD) के पास https://dwd.wisconsin.gov/wc/safety/ पर अधिक जानकारी है।

मेरा नियोक्ता राज्य या स्थानीय सरकार है:

- अपने मानव संसाधन (HR) विभाग से पता करें कि आपके नियोक्ता की COVID-19 नीति क्या है। यदि आपको लगता है कि ऐसा करना सुरक्षित है, तो अपने सुपरवाइज़र को समस्या के बारे में बताएं।
- आप dspsSbHealthAndSafetyTech@wisconsin.gov पर Department of Safety and Professional Services (सुरक्षा और व्यावसायिक सेवा विभाग, DSPS) के मेलबॉक्स में ईमेल भेज सकते हैं, या https://dspscomplaintform.wi.gov/dspslsconlinecomplaint.aspx पर DSPS के वेबपेज पर शिकायत दर्ज करवा सकते हैं।

मैंने कहा कि मैं COVID-19 के कारण काम के स्थान पर सुरक्षित महसूस नहीं करता/करती हूँ। यदि मैं इसके (प्रतिशोध) कारण अपने नियोक्ता के साथ मुसीबत में पड़ गया तो मैं क्या कर सकता/सकती हूँ?

- ऐसे कानून मौजूद है जो लोगों की शिकायत दर्ज करवाने के कारण होने वाले प्रतिशोध से रक्षा करते है (जो व्हिसिलब्लोअर के रूप में जाने जाते हैं)। यदि आपको गलत तरीके से निकाला गया है, कार्यस्थल से हटाया गया है, डिमोट किया गया है, ओवरटाइम या प्रमोशन देने से इनकार किया गया है, या आपका वेतन या घंटे कम किए गए है, तो आप https://www.osha.gov/whistleblower/WBComplaint.html पर OSHA के पास व्हिसिलब्लोअर शिकायत दर्ज करवा सकते है।
- यदि आप एक राज्य कर्मचारी है, तो आप https://dwd.wisconsin.gov/er/civilrights/retaliation/ पर Wisconsin के DWD के पास शिकायत दर्ज करवा सकते है।

मेरी प्रजाति, जातीयता, राष्ट्रीय मूल, इमिग्रेशन स्थिति, आयु, लिंग या विकलांगता के कारण मेरे साथ काम के स्थान पर उचित व्यवहार नहीं किया जा रहा है। क्या यह कानून के खिलाफ है?

हाँ। आप ये कदम उठा सकते है:

- यदि आपको लगता है कि ऐसा करना सुरक्षित है, तो अपने सुपरवाइज़र, नियोक्ता या मानव संसाधन (HR) विभाग को समस्या के बारे में बताएं।
- आप https://dwd.wisconsin.gov/dwd/forms/erd/erd-4206-e.htm पर DWD समान रोजगार अवसर आयोग के पास भेदभाव की शिकायत दजर् करवा सकते है। आप 608-266-6860 या 414-227-4384 पर कॉल भी कर सकते है, या erinfo@dwd.wisconsin.gov पर DWD को ईमेल भी कर सकते है।

मुझे क्वारंटाइन या अलगाव के लिए कार्यस्थल से घर पर रहने के लिए कहा गया था। क्या मुझे पेड लीव मिल सकती है?

- Families First Coronavirus Response Act (फैमिलीज़ फर्स्ट कोरोनावायरस रिस्पांस एक्ट, FFCRA) के अनुसार कुछ नियोक्ताओं को कम से कम 31 दिसंबर, 2020 तक COVID-19 से संबंधित कारणों के लिए पेड सिक लीव देना आवश्यक है। https://www.dol.gov/agencies/whd/pandemic/ffcra-employer-paid-leave पर अधिक जानें।
- यह पता करने के लिए कि क्या आप FFCRA के लिए योग्य है, आप https://www.dol.gov/agencies/whd/ffcra/benefits-eligibility-webtool पर दिए टूल का उपयोग कर सकते है।
- आप अन्य प्रकार की छुट्टी और भुगतान के लिए पात्र हो सकते है, जैसे कि परिवार और चिकित्सा छुट्टी या बेरोजगारी। DHS COVID-19 कर्मचारी वेबपेज https://www.dhs.wisconsin.gov/covid-19/employers.htm पर इन कार्यक्रमों के बारे में अधिक जानें।

मेरा नियोक्ता COVID-19 के लिए पेड सिक लीव नहीं दे रहा है। मैं अपने अधिकार कैसे पता कर सकता/सकती हूँ?

- सभी नियोक्ताओं को पेड लीव देने की आवश्यकता नहीं है।
- जहाँ आप काम करते है वहां के अपने नियोक्ता से पेड लीव विकल्पों के बारे में पूछें।
- जानकारी और मदद के लिए https://workerjustice.org/ पर Worker's Rights Center (कर्मचारियों के अधिकार केंद्र) से संपर्क करें। 608-255-0376 पर कॉल करें, या kristen@workerjustice.org या socorro@workerjustice.org पर ईमेल करें।
- https://www.dol.gov/agencies/whd/covid-response पर U.S. Department of Labor (अमेरिका का श्रम विभाग) से संपर्क करें, या 866-487-9243 पर कॉल करें।
- Wisconsin के DWD के पास https://dwd.wisconsin.gov/er/civilrights/fmla/ पर उनके Family and Medical Leave Act (पारिवारिक और चिकित्सा छुट्टी अधिनियम, FMLA) वेबपेज पर अधिक जानकारी है।
- Wisconsin स्कूल फॉर वर्कर्स के पास https://schoolforworkers.wisc.edu/wp-content/uploads/sites/795/2020/04/COVID-19-Legal-Rights-Booklet.pdf पर कर्मचारियों के लिए COVID-19 अधिकारों पर एक पुस्तिका है।

मेरे परिवार को भोजन, मानसिक स्वास्थ्य सहायता या आवास की आवश्यकता है। मुझे मदद कहां से मिल सकती है?

पूरे राज्य में भोजन और अन्य आवश्यकताओं के लिए मदद पाने के लिए, आप 2-1-1 पर कॉल कर सकते है या https://www.dhs.wisconsin.gov/covid-19/help.htm या https://211wisconsin.communityos.org/ पर जा सकते है।

WISCONSIN DEPARTMENT of HEALTH SERVICES

P-02805HI (03/2021)